



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1981/2008

याचिकाकर्ता :

गजानन वडनेरकर, आयु लगभग 37 वर्ष, पिता श्री बबन वडनेरकर, निवासी नौरोजाबाद कोलियरी, जिला उमरिया (म.प्र.)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, द्वारा इसके अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
2. महाप्रबंधक, जोहिला क्षेत्र डाक: नौरोजाबाद कोलियरी, जिला उमरिया (म.प्र.)
3. उप क्षेत्रीय प्रबंधक, डाक नौरोजाबाद कोलियरी, जिला उमरिया (म.प्र.)
4. भारत संघ, द्वारा खान सुरक्षा निदेशक, जबलपुर क्षेत्र 1568, नेपियर टाउन, जबलपुर (म.प्र.)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन रिट याचिका

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

श्री गैरी मुखोपाध्याय, याचिकाकर्ता हेतु अधिवक्ता।

श्री पंकज अग्रवाल, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 हेतु अधिवक्ता।

कुमारी शर्मिला सिंघई, भारत संघ/उत्तरवादी क्रमांक 4 हेतु सहायक सॉलिसिटर जनरल।

मौखिक आदेश

(दिनांक 24.06.2008 को पारित)

1. याचिकाकर्ता ने, इस याचिका के द्वारा, उत्तरवादीगण को उसकी बर्खास्तगी की तिथि से उसके वेतन का पूर्ण संदाय करने का निर्देश देने की मांग की है।



याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता नौरोजाबाद सर्कल, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में कार्य करने के दौरान अपने नियोजन के अनुक्रम में गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया था। आक्षेपित आदेश दिनांक 24/27.03.2008 (संलग्नक पी/1) भी उप क्षेत्रीय प्रबंधक, नौरोजाबाद, जिला शहडोल द्वारा जारी किया गया था।

2. वाद-हेतुक पूर्णतः या आंशिक रूप से इस उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर उद्भूत नहीं हुआ है क्योंकि दुर्घटना मध्य प्रदेश राज्य की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर हुई थी और आक्षेपित आदेश भी उप क्षेत्रीय प्रबंधक, नौरोजाबाद द्वारा जारी किया गया था, जो मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित है।

3. समरूप तथ्यों में जहाँ कंपनी का प्रधान कार्यालय कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में स्थित था और वाद-हेतुक झारखंड राज्य में उत्पन्न हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य विरुद्ध कल्याण बनर्जी**¹ के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया:

"13. कलकत्ता उच्च न्यायालय की युगल पीठ के इस विनिश्चय के आलोक में कि संपूर्ण वाद-हेतुक झारखंड राज्य के भीतर मुगमा क्षेत्र में उद्भूत हुआ था, हमारा यह अभिमत है कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी कंपनी का प्रधान कार्यालय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित था, यह तथ्य



स्वतः कलकत्ता उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान नहीं करेगा, विशेष रूप से तब जब प्रधान कार्यालय का उत्तरवादी के विरुद्ध पारित शास्ति के आदेश से कोई लेना-देना नहीं था।"

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के प्रयोजन हेतु मामले के तथ्यों पर वाद-हेतुक के सुस्थापित विधिक सिद्धांतों को लागू करने पर, वाद-हेतुक मध्य प्रदेश राज्य के भीतर उद्भूत हुआ था। इस प्रकार, यह याचिका विचारणीय नहीं है।
5. तदनुसार, याचिका विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है। हालांकि, याचिकाकर्ता को, यदि वह ऐसा परामर्श दिया जाये, समुचित उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता सुरक्षित है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।